संख्या-195/चार-2021

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,

जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 02 जुलाई, 2021

विषय: लोक कलाकारों को वाद्ययंत्रों हेतु अनुदान दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3720/सं0नि0-15(27)/2017-18, दिनांक 21 जनवरी, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया लोक कलाकारों को वाद्ययंत्रों हेतु अनुदान दिये जाने के संबंध में निम्न कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें:-

(1)- लोक कलाकारों को वाद्ययंत्रों हेतु अनुदान न्यूनतम विगत 05 वर्षों से कला एवं साधना में रत एवं संस्कृति विभाग के कार्यक्रमों में प्रस्तुति दे रहे अथवा संस्कृति विभाग की ई-डायरेक्टरी में पंजीकृत कलाकार एवं कलाकार दल अर्ह माने जायेंगे।

(2)- प्रत्येक वर्ष उ0प्र0 दिवस से पूर्व मण्डल स्तर पर सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाती है। इन प्रतियोगिताओं के विजयी कलाकारों/दलों को भी लोक कलाकारों को वाद्ययंत्रों के क्रय हेतु अनुदान दिये जाने के लिए पात्र माना जायेगा।

(3)- चयनित लोक कलाकारों का वाद्ययंत्रों के क्रय हेतु अनुदान दिया जायेगा। लोक कलाकार अथवा उनके दल द्वारा आवश्यकतानुसार क्रय किये जाने हेतु वाद्ययंत्र का नाम एवं मूल्य सहित आवेदन निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित किया जायेगा। आधार कार्ड न0 फार्म में भरवा लिया जायेगा तथा वाद्ययंत्र के साथ संबंधित कलाकारों का फोटो भी प्राप्त कर लिया जायेगा। कलाकारों/दलों को वाद्ययंत्रों के क्रय हेतु अनुदान निम्नवत् दरों पर दिया जायेगा:-

1. मण्डल स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त दल के कलाकारों हेतु आवश्यकतानुसार वाद्ययंत्र खरीदने के लिए विवरण उपलब्ध कराये जाने पर, अनुदान राशि वाद्ययंत्र के मूल्य का 60 प्रतिशत तक अथवा अधिकतम 20 हजार रूपये देय होगी।

2. मण्डल स्तरीय प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त दल के कलाकारों हेतु आवश्यकतानुसार वाद्ययंत्र खरीदने के लिए विवरण उपलब्ध कराये जाने पर, अनुदान राशि वाद्ययंत्र के मूल्य का 50 प्रतिशत तक अथवा अधिकतम 15 हजार रूपये देय होगी।

3. मण्डल स्तरीय प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त दल के कलाकारों हेतु आवश्यकतानुसार वाद्ययंत्र खरीदने के लिए विवरण उपलब्ध कराये जाने पर, अनुदान राशि वाद्ययंत्र के मूल्य का 40 प्रतिशत तक अथवा अधिकतम 12 हजार रूपये देय होगी।

4. दल नायक के सुझाव/परामर्श पर ही दल के सभी सदस्य वाद्य यंत्रों का क्रय करेंगे।

5. उक्त के अतिरिक्त वाद्ययंत्र क्रय करने हेतु जिन लोक कलाकारों द्वारा आवेदन किया जायेगा उनको नियमानुसार पात्र पाये जाने पर वाद्ययंत्र के क्रय हेतु अधिकतम रू0 12 हजार का अनुदान दिया जायेगा।

(4)-अनुदान राशि प्रत्येक कलाकार की बैंक खाता में जमा कराई जायेगी। इस हेतु प्रत्येक कलाकार को अपना बैंक खाता विवरण संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 को उपलब्ध कराना होगा।

(5)-लोक कलाकार या दल द्वारा कौनसा वाद्ययंत्र खरीदना है वाद्ययंत्र का पूर्ण मूल्य विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

(6)-वाद्ययंत्रों के क्रय, अनुदान राशि, उपभोग प्रमाण-पत्र, प्रोत्साहन राशि को बैंक खाता में स्थानान्तरण आदि के संबंध में निदेशक, संस्कृति सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही करायेंगे एवं पारदर्शिता तथा वित्तीय नियमों के पालन का पूर्ण उत्तरदात्वि निदेशक, संस्कृति का होगा।

(7)-अनुदान राशि प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर सम्बन्धित कलाकार/दल प्रमुख को धनराशि के उपभोग का प्रमाण-पत्र एवं साक्ष्य-क्रय का बीजक एवं सामग्री संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 में प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन कलाकारों/दलों को संस्कृति विभाग के आगामी आयोजनों में प्रतिभाग का अवसर प्राप्त होगा।

(8)-समस्त प्राप्त आवेदन पर निदेशक, संस्कृति निदेशालय की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठित समिति के माध्यम से नियमानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण करायी जायेगी:-

(I) निदेशक, संस्कृति निदेशालय-	अध्यक्ष
(II) संयुक्त निदेशक, संस्कृति निदेशालय-	सदस्य
(III) वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय-	सदस्य
(Iv) भातखण्डे संगीत संस्थान के एक प्राध्यापक-	सदस्य
(v) सचिव, संगीत नाटक अकादमी-	सदस्य

कृपया उपरोक्तानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by Mukesh Kumar
Meshram
Date: 02-07-2021 17:04:26
Reason: Approved

(मुकेश कुमार मेश्राम)

प्रमुख सचिव

संख्या- 198 /चार-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. कुलपति, भातखण्डे संगीत संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
2. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3. सचिव, संगीत नाटक अकादमी, उ0प्र0, लखनऊ।

(विनय श्रीवास्तव)

अनु सचिव।

संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,

जवाहर भवन, लखनऊ

विज्ञापन

लोक कलाकार वाद्ययंत्र क्रय योजना

उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन में महती भूमिका निभाने वाले प्रदेश के लोक कलाकार जो अपर्याप्त आर्थिक संसाधन के कारण नवीनतम वाद्ययंत्रों का क्रय करने में असुविधा महसूस करते हैं, को उक्त योजना के माध्यम से वाद्ययंत्र के क्रय हेतु प्रोत्साहन राशि दी जायेगी, जिससे कलाकार बदलते परिवेश के अनुरूप अपनी कला का बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

नियम एवं शर्तें

(1) लोक कलाकारों को वाद्ययंत्रों हेतु अनुदान न्यूनतम विगत 05 वर्षों से कला–साधना में रत एवं संस्कृति विभाग के कार्यक्रमों में प्रस्तुति दे रहे अथवा संस्कृति विभाग की ई–डायरेक्ट्री में पंजीकृत कलाकार व कलाकार दल अर्ह माने जायेंगे।

(2) अनुदान राशि प्रत्येक कलाकार के बैंक खाते में जमा कराई जायेगी। इस हेतु प्रत्येक कलाकार को अपना बैंक खाता विवरण संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 को उपलब्ध कराना होगा।

(3) लोक कलाकार या दल द्वारा कौन सा वाद्ययंत्र खरीदना है, वाद्ययंत्र का पूर्ण मूल्य विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) अनुदान राशि प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर सम्बन्धित कलाकार/दल प्रमुख को धनराशि के उपभोग का प्रमाण–पत्र एवं साक्ष्य–क्रय का बीजक एवं सामग्री संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 में प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन कलाकारों/दलों को संस्कृति विभाग के आगामी आयोजनों में प्रतिभाग का अवसर प्राप्त होगा।

(5) वाद्ययंत्र क्रय योजना हेतु आवेदन पत्र की अंतिम तिथि दिनांक 15 अक्टूबर, 2022 तक आवेदन प्राप्त किये जायेंगे।

(6) आवेदन–पत्र व वाद्ययंत्र क्रय योजना के विस्तृत नियम/शर्ते संस्कृति विभाग की वेबसाइट **http://upculture.up.nic.in** के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते है।

(7) गत वित्तीय वर्ष–2021–22 में वाद्ययंत्र अनुदान प्राप्त कर चुके कलाकार इस वर्ष अनुदान के पात्र नहीं होगें।

निदेशक,

संस्कृति निदेशालय,

संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0

लोक कलाकार वाद्ययंत्र कय योजना

आवेदन प्रारूप

लाभार्थी का फोटो

1— नाम श्री/श्रीमती/कु0..

2— पिता/पति का नाम..

3— राष्ट्रीयता..

4— जन्म तिथि व जन्म स्थान..

5— शैक्षिक योग्यता..

6— स्थायी पता..

....

....

7— मोबाईल नम्बर..

8— ई–मेल..

9— आधार नम्बर..

10— तिथि जब से उत्तर प्रदेश के निवासी है..

11— कला के क्षेत्र में किये गये योगदान/उपलब्धियों का विवरण ....

....

12— सरकार या किसी प्रमुख कला सोसायटी संस्था से प्राप्त मान्यता अथवा सम्मान का विवरण ....

13— क्या आवेदक को राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अकादमी/संस्था से कोई आर्थिक सहायता मिली है तो उसका विवरण, राशि और वर्ष..

....

14— कौन सा वाद्ययंत्र कय करना चाहते है, उसका विवरण वास्तविका मूल्य के साथ ......

....

15— कलाकार के बैंक खाते का विवरण (छायाप्रति संहित)

बैंक का नाम–..

बैंक खाता संख्या..(पास बुक छाया प्रति संलग्न)

आई0एफ0एस0सी0 कोड..

पैनकार्ड नम्बर..

मै सत्यनिष्ठापूर्वक यह शपथ लेता/लेती हूँ कि उपरोक्त विवरण पूर्णतया सही है। यदि कोई विवरण गलत हो, तो निदेशक, संस्कृति निदेशालय को अधिकार होगा कि मुझे प्रदान की गयी समस्त आर्थिक सहायता की धनराशि वसूल कर लें।

दिनांक

नाम–

हस्ताक्षर–